




फर्द अहकाम


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ जिला अलवर

वनाम राम किशन
 प्रकरण सं. 1/65/1915 तारीख रजू. 28.6.15

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
23.06.15	<p>पत्रावली पेश की। पत्रावली को ओर से यह दस्ता अतिवक्ता श्री अरुण कुमार शर्मा ने फा.सं.सं. संख्या 1/65/1915 को पेश किया। ठाका एवरटि. है। प्रतिकीर्ण को ओर रज. सं. संख्या 30.6.15 को पेश है।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०</p>	
30.6.15	<p>पत्रावली पेश की। प्रथम पत्रावली अतिवक्ता संख्या 1 लगातार 9 की ओर से अतिवक्ता संख्या राजपूत ने पत्रावली पेश किया। जो अतिवक्ता पत्रावली है। नकल प्रेषित की। प्रतिकीर्ण संख्या 11, 12 लाकपुफ तमिल के अनुपस्थित है। इसके विषय एकराजि अतिवक्ता शब्द में जारी जारी है। प्रतिकीर्ण संख्या 10 की नवीनतम अतिवक्ता रिपोर्ट अतिवक्ता पेश करे। पत्रावली पेश करे। प्रतिकीर्ण संख्या 10 की तारीख है। सं. सं. संख्या 11.7.25 को पेश है।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०</p>	
11-07-25	<p>पत्रावली पेश। सं. सं. संख्या 37-37 को पेश है। पत्रावली दिनांक 29-07-25 को पेश है।</p> <p> रीडर</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम जारी हुआ
-------------	----------------------------------	------------------------------

29.7.25

पत्रावली पेश। P.O. साल्म.....
 अन्तर्गत में दर्ज है।
 पत्रावली दिनांक.....में पेश हो।
 26-8.25 
 रीटर

27.8.25

Note Press
 Aug

पत्रावली दिनांक 26.8.25 को पाटपोल गेले
 का अवकाश होने के कारण आज पेश हुई।
 वहील वादी उपस्थित। वहील वादी के द्वारा
 NOT PRESS कर पत्रावली को शही स्तर
 पर खालिज फरमाये जाने काबत निवेदन किया
 है हमने पत्रावली का अवलोकन किया अतः
 अग वहील वादी के NOT PRESS करने पर
 शही स्तर पर खालिज/ड्रॉप किया जाता है।
 पत्रावली फौजल शूमार एकर बख्तर से कम
 एका बाद तबहील खालिज फरमाए है। (सुभाष)


 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अजमेर) राज०